

पटना उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में,
2018 का दीवानी विविध अधिकार क्षेत्र सं.-523

=====

रीता देवी, पत्नी-सुरेश प्रसाद यादव, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक उर्फ श्री राम चक, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. सुरेंद्र बहेलिया उर्फ सुरेंद्र राम पुत्र स्वर्गीय तीमल बहेलिया उर्फ तीमल राम, निवासी- मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
2. चंपा कुर, पत्नी-स्वर्गीय हीरा बहेलिया, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
3. ब्रजेंद्र बहेलिया, पुत्र-स्वर्गीय हीरा बहेलिया निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
4. बृजेश बहेलिया, पुत्र-स्वर्गीय हीरा बहेलिया, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
5. ब्रजनंदन बहेलिया, पुत्र-स्वर्गीय हीरा बहेलिया निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
6. धनराज बहेलिया, नाबालिग पुत्र-स्व. हीरा बहेलिया उनकी माता चंपा कुर के संरक्षण में, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
7. राजा बाबू कुमार नाबालिग पुत्र-स्वर्गीय हीरा बहेलिया जो अपनी मां चंपा कुर के संरक्षण में, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
8. इंदु देवी, पुत्र-स्वर्गीय हीरा बहेलिया, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
9. पूजा कुमारी अव्यस्क, पुत्री-स्वर्गीय हीरा बहेलिया, उनकी माँ चंपा कुर के संरक्षण में, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
10. मीरा देवी, पुत्र-स्वर्गीय नरेश बहेलिया निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
11. अरुण बहेलिया, पुत्र-रामा बहेलिया, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।

12. अनिल बहेलिया, पुत्र-रामा बहेलिया, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
13. रवि बहेलिया, पुत्र-रामा बहेलिया, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
14. शशि कुमार, पुत्र-रामा बहेलिया, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
15. शकुंतला देवी, पुत्री-राम बहेलिया, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
16. सुमन कुमारी, अव्यस्क पुत्री-रमा बहेलिया, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
17. कुसुम कुमारी, नाबालिग पुत्री-रमा बहेलिया, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
18. प्रभावती देवी, पुत्री-गणेश बहेलिया, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
19. चंद्रवती देवी, पुत्री-स्वर्गीय गणेश बहेलिया, निवासी-मोहल्ला-श्याम चक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।
20. रामलोकी राय, पुत्र-स्वर्गीय झलकू राय, जंतोला निवास-थाना-रिविलगंज, जिला-सारण।
21. त्रिलोकी राय, पुत्र-स्वर्गीय झलकू राय, निवासी-थाना-रिविलगंज, जिला-सारण।
22. इश्वोकी राय, पुत्र-स्वर्गीय झलकू राय, निवासी-जंतोला, थाना-रिविलगंज, जिला-सारण।
23. विश्वमोहन राय, पुत्र-स्वर्गीय झलकू राय, निवासी-जंतोला, थाना-रिविलगंज, जिला-सारण।
24. राधा मोहन राय, पुत्र-स्वर्गीय झलकू राय, निवासी-जंतोला, थाना-रिविलगंज, जिला-सारण।
25. पानमाता देवी, पत्नी-स्वर्गीय झलकू राय, निवासी-जंतोला, थाना-रिविलगंज, जिला-सारण।
26. राजमुनी देवी, पुत्री-स्वर्गीय झलकू राय, निवासी-जंतोला, थाना-रिविलगंज, जिला-सारण।
27. मुकरा देवी, पुत्री-स्वर्गीय झलकू राय, निवासी-जंतोला, थाना-रिविलगंज, जिला-सारण।
28. बबीता देवी, पत्नी-जितेंद्र प्रसाद, निवासी-धरमपुरा, थाना-डोरीगंज, जिला-सारण।
29. मंगल राय, पुत्र-स्वर्गीय जादू राय उर्फ जय राय, निवासी-तरवा, थाना-कोपा, जिला-सारण, वर्तमान में-मासूमगंज, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण।
30. राजकु मारी देवी, पत्नी-रामेश्वर महतो, निवासी गाँव-मासूमगंज, थाना-भगवान बाजार, जिला-सारण।
31. सपना कुमारी अव्यस्क, पुत्री-स्वर्गीय प्रहलाद बहेलिया के संरक्षण प्रभावती देवी(फुआ), निवासी-मोहल्ला-श्यामचक, थाना-भगन बाजार, जिला-सारण।

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए: श्री रंजन कुमार दुबे, अधिवक्ता

श्री कुमार गौरव, अधिवक्ता

श्री आशीषह आनंद, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए: श्री अरुण कुमार राय, अधिवक्ता

=====

सी. पी. सी.-आदेश 21 नियम 29; नियम 97; नियम 102

याचिका-निष्पादन मामले में पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई जिसके द्वारा विद्वान अवर न्यायाधीश ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 नियम 29 के तहत दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने कहा -याचिकाकर्ता के लिए एकमात्र रास्ता खुला था कि वह अंतिम डिक्री को चुनौती दे और उसी पर अपनी आपत्ति रखे और यदि संबंधित अदालत द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया तो उच्च न्यायालय के समक्ष उस पर हमला किया जाए। याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई काम नहीं किया है और कानून के उचित पाठ्यक्रम का सहारा नहीं लिया है।(पैरा 7)

चूँकि याचिकाकर्ता सह-हिस्सेदार से कुछ समय के लिए खरीदार है, इसलिए वह अपने विक्रेता के हिस्से में से केवल अपने विक्रेता के खिलाफ अपना दावा कर सकती है।- अधिकतम, याचिकाकर्ता अंतिम डिक्री कार्यवाही में उसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति को उसके विक्रेता के हिस्से में आवंटित करने के लिए अनुरोध कर सकती थी। जाहिर है, याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया।(पैरा 9)

केवल प्रत्यर्थी के खिलाफ मुकदमा दायर करने से, डिक्री धारक, याचिकाकर्ता को संहिता के आदेश 21, नियम 29 के तहत राहत पाने का हकदार नहीं बनाएगा, इस स्पष्ट कारण से कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई डिक्री पारित नहीं की गई है और खरीदार होने के कारण उसे अपने विक्रेता के स्थान पर कदम रखने का कोई अधिकार नहीं मिला है।(पैरा 10)

याचिका खारिज कर दी गई।(पैरा 11)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम:माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार झा

सीएभी निर्णय

तारीख:19-01-2024

2013 का निष्पादन वाद सं. 03 मामला विद्वत उप-न्यायाधीश-IV, छपरा द्वारा दिनांकित 17.02.2018 के आदेश के खिलाफ पारित तत्काल याचिका दायर की गई है, जिसके द्वारा 1908 की दीवानी प्रक्रिया संहिता(इसके उपरान्त संहिता के रूप में संदर्भित) आदेश 21 नियम 29 के तहत विद्वत उप-न्यायाधीश-IV, छपरा ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका दिनांकित 02.01.2018 को रद्द कर दिया।

02. पक्षकारों के मामले को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:-

वादी/प्रत्यर्थी सं 1, सुरेंद्र बहेलिया ने एक तिहाई हिस्से का दावा करते हुए सूट संपत्ति के विभाजन के लिए गणेश बहेलिया और उनके बेटों के खिलाफ 1994 स्वामित्व वाद संख्या 209 दायर किया। वादी/प्रत्यर्थी सं 1 लालू बहेलिया के पोते हैं, जो अपने पीछे अपने तीन बेटों गणेश बहेलिया, नरेश बहेलिया और तीमल बहेलिया को छोड़ गए। गणेश बहेलिया के दो बेटे, हीरा बहेलिया और प्रहलाद बहेलिया और दो बेटियां, प्रभावती और चंद्रवती थीं। हीरा बहेलिया अपने पीछे विधवा, पाँच बेटे और दो बेटियाँ छोड़ गए। हीरा बहेलिया ने विभाजन के मुकदमे के लंबित रहने के दौरान विवादित भूमि का एक हिस्सा इमदाद अली खान के पक्ष में बेच दिया और बाद में, इमदाद अली खान ने भी अपनी खरीदी हुई भूमि को याचिकाकर्ता के पक्ष में पंजीकृत बिक्री विलेख दिनांक 11.09.2007 के माध्यम से बेच दिया और उसे उसका कब्जा सौंप दिया। याचिकाकर्ता ने राजस्व अभिलेख में अपने नाम पर भूमि को परिवर्तित कर दिया। और बिहार राज्य को किराया देना शुरू किया। उन्होंने अपनी खरीदी हुई जमीन पर एक आवासीय घर भी बनाया और अपने परिवार के सदस्यों के साथ वहां रहने लगीं। 1994 के स्वामित्व वाद संख्या 209 को याचिकाकर्ता के विक्रेता, हीरा बहेलिया द्वारा चुनौती दी गई थी और अंततः, मुकदमे को निर्णय और डिक्री दिनांक 31.05.2007 के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। विद्वत विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री से व्यथित और असंतुष्ट होने के कारण, वादी/प्रतिवादी नं 1 ने 2007 की स्वामित्व अपील सं. 40 दायर की। उक्त अपील के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता के विक्रेता, अर्थात् हीरा बहेलिया की मृत्यु हो गई, उनके उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित किया गया और एक समझौता याचिका दायर की गई, जिसे हीरा बहेलिया की पत्नी, अर्थात् चंपा कुर द्वारा शपथ पत्र दिया गया था। लेकिन किसी ने भी स्वर्गीय हीरा बहेलिया के नाबालिग बेटों और बेटी का प्रतिनिधित्व नहीं किया था। उक्त अपील को 19.06.2009 दिनांकित निर्णय

और डिक्री के माध्यम से समझौते के संदर्भ में अनुमति दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि वादी वाद भूमि में एक तिहाई हिस्से का हकदार था। कार्यालय को विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा तदनुसार डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

यह याचिकाकर्ता का आगे का मामला है कि आज तक विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार विद्वान निचली अदालत द्वारा कोई डिक्री तैयार नहीं की गई है, लेकिन वादी/प्रतिवादी नं 1 ने 31.05.2007 को पारित निर्णय एवं डिक्री के आधार पर अंतिम डिक्री की तैयारी हेतु एक आवेदन दाखिल किया। तदनुसार, आयुक्त की नियुक्ति की गई और रिट को स्वीकार करने के बाद, उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की। याचिकाकर्ता का आगे का मामला यह है कि उसे मुकदमे के लंबित होने के बारे में पता नहीं था और पहली बार उसे अंतिम डिक्री चरण में इसके बारे में पता चला और जिस समय उसे अंतिम डिक्री की कार्यवाही के लंबित होने के बारे में पता चला, उसने उसे एक पक्ष के रूप में जोड़ने के लिए प्रार्थना के साथ एक आवेदन दायर किया, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया है। यहां तक कि अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट पर उठाई गई आपत्ति को भी निचली अदालत ने खारिज कर दिया है और आयुक्त की रिपोर्ट की पुष्टि की गई है। इसके बाद, अंतिम डिक्री निर्णय और डिक्री दिनांक 23.02.2013 के माध्यम से तैयार की गई थी। लेकिन, 31.05.2007 को निर्णय और दिनांक 31.05.2007 की प्रारंभिक डिक्री के आधार पर, वादी/प्रतिवादी नं.1 का मुकदमा खारिज कर दिया गया था, इसलिए 31.05.2007 को कोई प्रारंभिक डिक्री नहीं थी और अंतिम डिक्री के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि अंतिम डिक्री दिनांकित 31.05.2007 विद्वत उप-न्यायाधीश-IV, सारण, छपरा द्वारा पारित प्रारंभिक डिक्री के आधार पर तैयार की जानी थी। उपरोक्त निर्णय और डिक्री के आधार पर, वादी/प्रतिवादी नं 1 ने 2013 का निष्पादन मामला संख्या 3 दायर किया, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम जोड़ा गया था जो दर्शाता है कि डिक्री को उसके साथ साथ कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ निष्पादित किया जाना था। जिस क्षण याचिकाकर्ता को इसके बारे में पता चला, उसने आदेश 21 नियम 97 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसे 2013 का विविध वाद सं. 22 के रूप में पंजीकृत किया गया था। उक्त विविध मामला, विरोधी पक्ष ने आदेश 21 नियम 102 के तहत 08.09.2015 को आपत्ति दर्ज की। विद्वत निष्पादन अदालत ने पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद, वादी/प्रतिवादी सं. 1 संहिता के आदेश 21 नियम 102 के तहत वादी/प्रतिवादी सं.1 द्वारा दायर आपत्ति को खारिज कर दिया। उक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष 2016 के सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 2022 में चुनौती दी गई थी, जिसे इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा दिनांकित 29.08.2016 के आदेश के माध्यम से अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता ने इस आदेश के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की, जिसे अलग से मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया गया। इससे पहले, याचिकाकर्ता ने 2013 का स्वामित्व मुकदमा संख्या 174 दायर किया था।

03.याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता मुकदमे के किसी भी चरण में पक्षकार नहीं थी और जब उसने डिक्री के अंतिम चरण में खुद को पक्षकार के रूप में शामिल करने की कोशिश की, तो वादी/प्रतिवादी नं.1 ने इसका विरोध किया। इसके अलावा, अंतिम डिक्री तैयार करना 1994 के स्वामित्व मुकदमा संख्या 209 में पारित 31.05.2007 के फैसले और डिक्री पर आधारित है, जो कानून के अनुसार नहीं है जैसा कि उक्त फैसले और डिक्री दिनांक 31.05.2007, के माध्यम से उक्त मुकदमा खारिज किया गया है। विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि अंतिम डिक्री एक मृत व्यक्ति के खिलाफ तैयार की गई है क्योंकि हीरा बहेलिया की मृत्यु 18.06.2008 को हुई थी और उसे शीर्षक अपील में प्रतिस्थापित किया गया है, लेकिन अंतिम डिक्री में उसे अपने उत्तराधिकारियों के स्थान पर एक पक्षकार बनाया गया है, जो स्वयं दर्शाता है कि अंतिम डिक्री तैयार करने के समय विद्वान अधिवक्ता आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ता के विक्रेता के कानूनी उत्तराधिकारियों को कोई अवसर नहीं दिया गया था और उसने वादी/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में याचिकाकर्ता की भूमि आवंटित की है। जिस पर यह याचिकाकर्ता एक आवासीय घर बनाने के बाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह रही है। इन सभी मुद्दों को उठाते हुए, याचिकाकर्ता ने 26.09.2016 को एक आवेदन दायर किया। यद्यपि वादी/प्रत्यर्थी नं 1 ने प्रत्युत्तर दायर किया लेकिन उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का कोई जवाब नहीं दिया। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वत निष्पादन अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायिक दिमाग के प्रयोग के बिना और उचित कारण बताए बिना और मुख्य रूप से इस आधार पर कि याचिकाकर्ता ने प्रारंभिक डिक्री के संबंध में आपत्ति जताई है और अंतिम डिक्री के संबंध में नहीं और आगे इस आधार पर कि उसने इस तथ्य को दबा दिया है कि अंतिम डिक्री में उसे पक्षकार के रूप में शामिल करने के लिए उसका आवेदन पहले ही खारिज कर दिया गया है। विद्वत निष्पादन न्यायालय अंतिम डिक्री के संबंध में विशिष्ट आपत्तियों के संबंध में अपना निष्कर्ष देने में विफल रहा, जिसे प्रारंभिक डिक्री दिनांक 31.05.2007 के आधार पर तैयार किया गया था, जिसके द्वारा वाद का फैसला नहीं किया गया था, बल्कि इसे खारिज कर दिया गया है क्योंकि पक्षों के अधिकारों का कोई निर्धारण नहीं था। विद्वत निष्पादन अदालत ने अंतिम आदेश के संबंध में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया जो एक मृत व्यक्ति के खिलाफ तैयार किया गया है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को वादी/प्रतिवादी सं.1 द्वारा दायर मुकदमे में पक्षकार के रूप में नहीं जोड़ा गया था। उन्होंने स्वयं खरीदी गई भूमि के संबंध में 2013 का विभाजन मुकदमा संख्या 174 वाला एक स्वतंत्र मुकदमा दायर किया। 2013 के विभाजन वाद सं. 174 के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता ने 2013 के विभाजन वाद सं. 174 के निपटारे तक निष्पादन मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने के अनुरोध के साथ 2013 के निष्पादन मामले सं. 3 में संहिता के आदेश 21 नियम 29 के तहत एक आवेदन दायर किया। हालाँकि, विद्वत निचली अदालत ने दिनांकित 02.01.2018 याचिका को खारिज कर दिया। 2013 के

विभाजन वाद सं. 174 के लंबित रहने के दौरान, डिक्री धारक ने संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें वाद को अस्वीकार करने का अनुरोध किया गया था जिसमें कहा गया था कि यह विचारणीय नहीं है। विद्वत निचली अदालत ने डिक्री धारक द्वारा दिनांकित 27.02.2018 के आदेश के माध्यम से दायर याचिका को खारिज कर दिया। विद्वान वकील ने आगे कहा कि एक ओर दोनों मामले उसी न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, विद्वत निचली न्यायालय ने संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत डिक्री धारक द्वारा दायर याचिका को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि मुद्दे तैयार किए गए हैं और सबूत चल रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर, उसी अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपील के तहत डिक्री में उसका नाम नहीं है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वान अपीलीय अदालत के समक्ष कोई मध्यमार्ग/समझौता नहीं हुआ है क्योंकि हीरा बहेलिया की मृत्यु के बाद, उनकी पत्नी और बच्चों ने वादी/प्रतिवादी संख्या 1 के एक तिहाई हिस्से के दावे को स्वीकार करते हुए विद्वान अपीलीय अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया है। अंतिम आदेश में भी हीरा बहेलिया के कानूनी प्रतिनिधियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि यदि रिट कार्यवाही में विवादास्पद मुद्दे शामिल हैं, तो सामान्य रूप से रोक दी जानी चाहिए। *(2004) 13 एससीसी 667* में प्रतिवेदित *दिनेश प्रभुलाल बारात बनाम साई पैलेस होटल्स(पी) लिमिटेड* मामले में माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर, याचिकाकर्ता के विद्वत वकील ने इस पहलू पर, भरोसा किया। *ए आई आर 1973 एस सी 528(कंडिकारें 4, 5, एवं 6)* में प्रतिवेदित *शौकत हुसैन बनाम भुवनेश्वरी देवी* मामले के निर्णय पर, इस पहलू पर, विद्वत वकील ने भी भरोसा किया। विद्वत वकील ने आगे समर्पित किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने टिप्पणी की है कि याचिकाकर्ता डिक्री में पक्षकार नहीं था, जिसे निष्पादित करने की मांग की गई थी और उक्त डिक्री उसके खिलाफ जारी नहीं की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता को बाद में निष्पादन कार्यवाही में पक्षकार बनाया गया था। जब याचिकाकर्ता को निष्पादन न्यायालय के समक्ष पक्षकार बनाया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उसे विद्वत निष्पादन न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और उसके समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने का अधिकार है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि उचित वाद की वही विषय वस्तु 2013 के विभाजन वाद संख्या 174 की विषय वस्तु भी है। संहिता के आदेश 21 नियम 29 की भावना यह है कि यदि डिक्री धारक के खिलाफ उसी संपत्ति के संबंध में कोई मुकदमा लंबित है तो डिक्री के निष्पादन को स्थगित रखा जाएगा। चूंकि, याचिकाकर्ता को पक्षकार नहीं बनाया गया है, इसलिए वह विभाजन का मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर थी और जब वह अपने अधिकार का लाभ उठाने के लिए विद्वान निष्पादन अदालत के समक्ष गई, तो उसने अपने विक्रेता के स्थान पर कदम रखा। विद्वान वकील ने आगे कहा कि मूल प्रतिवादी-हीरा बहेलिया के कानूनी प्रतिनिधियों को अंतिम डिक्री कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता या उसके विक्रेता के कानूनी प्रतिनिधियों के लिए विद्वान सर्वेक्षण जानने वाले प्लीडर आयुक्त के समक्ष अपना

मामला रखने का कोई अवसर नहीं था, ताकि वह याचिकाकर्ता की आपत्तियों का ध्यान रख सके और अपना हिस्सा अन्य सह-हिस्सेदार को आवंटित न कर सके। इस प्रकार, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश टिकाऊ नहीं है और इसे अलग रखा जाना चाहिए।

04. वादी/प्रतिवादी सं 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दृढ़ता से तर्क दिया कि विवादित क्रम में कोई कमजोरी नहीं है और इसे बनाए रखा जाना चाहिए। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वत विचारण न्यायालय ने वादी/प्रतिवादी सं.1 द्वारा दायर 1994 के विभाजन वाद सं. 209 को खारिज कर दिया। लेकिन प्रत्यर्थी सं 1 2007 की पसंदीदा स्वामित्व अपील संख्या 40 और विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने दिनांकित 16.09.2009 के निर्णय और दिनांकित 24.09.2009 के डिक्री द्वारा अपील की अनुमति दी। कु छ खरीदारों/प्रतिवादियों ने 2009 की दूसरी अपील संख्या 401 के माध्यम से 2007 का स्वामित्व अपील संख्या 40 में पारित उपरोक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील दायर की है। इस दूसरी अपील को 02.05.2012 को स्वीकार करने के चरण में ही खारिज कर दिया गया था, क्योंकि दूसरी अपील में विचार के लिए कानून के कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल नहीं पाए गए थे। विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को 2013 के निष्पादन मामले संख्या 3 में निर्णय देनदार के रूप में कभी भी पक्षकार नहीं बनाया गया था, जो 1994 के विभाजन मुकदमा संख्या 209 के अंतिम डिक्री पर आधारित था। केवल प्रतिवादियों को निर्णय देनदारों और भूमि के खरीदारों के कॉलम में दिखाया गया था, जिन्हें अंतिम डिक्री डिक्री धारक/प्रत्यर्थी सं 1 को आवंटित किया गया था, अन्य कॉलम में पक्षकार बनाए गए, जिनके पास प्रत्यर्थी सं. 1 के आवंटित हिस्से का कब्जा था। 1. विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि एक मृत प्रतिवादी, अर्थात् हीरा बहेलिया का नाम दिखाना कार्यालय की ओर से गलती है। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता निष्पादन न्यायालय के समक्ष पेश हुआ और 2013 के निष्पादन मामले संख्या 3 में दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 नियम 97 के तहत अपनी आपत्ति दर्ज की और इसे 2013 के विविध वाद सं.22 के रूप में दर्ज किया गया था। प्रत्यर्थी नं 1 ने याचिकाकर्ता के आवेदन को जारी रखना और संहिता के आदेश 21 नियम 102 के तहत उसके आवेदन पर रोक लगाने पर सवाल उठाया। हालाँकि, उत्तरदाता सं.1 की प्रार्थना को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा दिनांकित 06.01.2016 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, वादी/प्रतिवादी सं 1 ने 2023 के विविध वाद सं. 22 के रूप में पारित 06.01.2016 दिनांकित आदेश के खिलाफ 2016 का सी. डब्ल्यू. जे. सी. सं. 2022 दायर किया जो उच्च न्यायालय के समक्ष 2013 के निष्पादन मामले संख्या 3 से उत्पन्न हुआ। उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया और 2013 का विविध वाद सं.22 को खारिज कर दिया। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि यह संहिता के आदेश 21 नियम 102 तहत प्रतिषेध के रूप में बनाए रखने योग्य नहीं है दिनांकित 29.08.2016 के आदेश के माध्यम से। याचिकाकर्ता द्वारा दायर

2013 के विभाजन वाद सं. 174 में, उसने प्रतिवादी सं.1 को भूमि से बेदखल करने से रोकने हेतु एक निषधज्ञा याचिका दायर की। उक्त याचिका विद्वत निचली न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। 2014 का विविध अपील सं.238 दायर कर उक्त आदेश के खिलाफ इस अदालत का दरवाजा खटखटाया। 2014 की एम. ए. सं. 238 के माध्यम से अपील। उक्त विविध अपील में, वादी/प्रतिवादी सं 1 को निर्देश दिया गया था कि याचिकाकर्ता को 2013 के विभाजन वाद संख्या 174 के लंबित रहने के दौरान कानून दिनांकित 22.11.2017 के निर्णय के द्वारा प्रश्रुत के उचित पाठ्यक्रम के अलावा विचाराधीन संपत्ति से बेदखल न किया जाए। विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि विद्वत निष्पादन अदालत ने संहिता के आदेश 21 नियम 29 के तहत याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका को इस आधार पर सही ढंग से खारिज कर दिया है कि याचिकाकर्ता निर्णय देनदार नहीं है। उन्होंने 1994 के विभाजन वाद सं. 209 के लंबित रहने के दौरान भूमि खरीदी और अपने विक्रेता की मृत्यु के बाद, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों और निर्णय देनदार ने 1994 के विभाजन वाद सं. 209 को खो दिया और इस कारण से संहिता के आदेश 21 नियम 29 के तहत प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। विद्वान वकील ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने गलत तरीके से तर्क दिया है कि उसने वादी/प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में वाद भूमि पर एक घर का निर्माण किया है। विशेष रूप से कहा गया है और शिकायत की अनुसूची-1 में उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी नं 1 का पैतृक घर सूट प्लॉट नं. 224, 295 और 296 है। यदि याचिकाकर्ता का विक्रेता मुकदमा हार गया है, तो याचिकाकर्ता निष्पादन कार्यवाही पर रोक की मांग नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका दावा केवल उसके विक्रेता के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा किया जा सकता है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि वर्तमान याचिका योग्यता से रहित है और यहां उठाए गए तर्क पर इस न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में विचार किया गया है और इस न्यायालय के समक्ष कुछ भी नया प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए, तत्काल याचिका किसी भी योग्यता से रहित है और उसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

05. मैंने मामले के तथ्यों के साथ-साथ पक्षों की प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है। संहिता का आदेश 21, नियम 29 निम्नानुसार प्रदान करता है:-

“जहां ऐसे न्यायालय की डिक्री या डिक्री के धारक के खिलाफ किसी न्यायालय में कोई मुकदमा लंबित है, जिसे ऐसे न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति की ओर से निष्पादित किया जा रहा है, जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई थी, वहां न्यायालय, प्रतिभूति या अन्यथा जैसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, डिक्री के निष्पादन पर तब तक रोक लगा सकता है जब तक कि लंबित मुकदमे का निर्णय नहीं हो जाता है:

बशर्ते कि यदि डिक्री धन के भुगतान के लिए एक है, तो न्यायालय, यदि वह प्रतिभूति की आवश्यकता के बिना रोक लगाता है, तो ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा।”

06. प्रावधानों के सरल अध्ययन से पता चलता है कि यह ऐसे मामलों में लागू होता है जहां मुकदमा उस व्यक्ति की ओर से लंबित है जिसके खिलाफ डिक्री पारित की गई थी। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के खिलाफ डिक्री पारित नहीं की गई है, जो एक अंतरिती विचाराधीन है और इस सरल कारण से, विद्वान निचली अदालत ने संहिता के आदेश 21 नियम 29 के तहत याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका को विवादित आदेश के माध्यम से रद्द कर दिया।

07. याचिकाकर्ता का मामला बहुत अजीब है लेकिन बहुत असामान्य नहीं है। याचिकाकर्ता एक विचाराधीन खरीददार है और मामले के गुण-दोष पर याचिकाकर्ता ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था। याचिकाकर्ता के विक्रेता के कानूनी उत्तराधिकारियों ने वादी/प्रतिवादी संख्या 1 का एक तिहाई हिस्सा स्वीकार किया। और विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने हीरा बहेलिया के उत्तराधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों के साथ-साथ अन्य भौतिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले का निपटारा किया। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के आदेश को इस न्यायालय द्वारा दूसरी अपील में बाधित नहीं किया गया था, जिसने दूसरी अपील पर विचार करने के लिए कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं पाया, जिसे खारिज कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि यह याचिकाकर्ता अपीलकर्ता नहीं था, लेकिन इस न्यायालय का निर्णय सभी संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। याचिकाकर्ता का आगे का दावा कि उसे जानकारी नहीं थी और उसे केवल उस विषय के बारे में पता चला जब उसे निष्पादन अदालत के समक्ष पक्षकार बनाया गया था, उसका बोझ कम नहीं कर सका। उसके लिए एकमात्र खुला रास्ता यह था कि वह अंतिम डिक्री को चुनौती दे और उसी पर अपनी आपत्ति रखे और यदि संबंधित अदालत द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया तो उसे उच्चतर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। जाहिर है, याचिकाकर्ता ने ऐसा कोई काम नहीं किया है और कानून के उचित पाठ्यक्रम का सहारा नहीं लिया है।

08. साथ ही, मुझे याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए निवेदन में कोई सार नहीं मिलता है कि किसी मृत व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रारंभिक डिक्री या अंतिम डिक्री नहीं है। एक बार जब विद्वत विचारण न्यायालय की डिक्री को उलट दिया जाता है, तो यह पहले अपीलीय न्यायालय का निर्णय और डिक्री होती है, जो अंतिम डिक्री तैयार करने के उद्देश्य से प्रासंगिक हो जाती है। यह तथ्य स्वीकार किया जाता है कि मृतक प्रतिवादी, हीरा बहेलिया के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रथम अपीलीय अदालत के समक्ष उनके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था और भले ही अंतिम डिक्री में मृतक-प्रतिवादी, यानी हीरा बहेलिया का नाम उल्लेख किया गया हो, यह एक लिपिकीय गलती है और इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जा सकता है।

09. इस मामले का एक अन्य उल्लेखनीय पहलू याचिकाकर्ता का विभाजन मुकदमा है। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नं.1 के खिलाफ विभाजन के लिए मुकदमा दायर किया है और मैं प्रत्यर्थी सं. 1 के खिलाफ याचिकाकर्ता की शिकायत को समझने में सक्षम नहीं हूँ। 1. मान लीजिए, प्रत्यर्थी नं. 1 को संयुक्त परिवार की संपत्ति से एक तिहाई हिस्सा मिला और दूसरी अपील में इस न्यायालय तक उनकी स्थिति को बरकरार रखा गया। चूँकि याचिकाकर्ता सह-शेयरधारक से खरीदार है, इसलिए वह अपने विक्रेता के हिस्से में से केवल अपने विक्रेता के खिलाफ अपना दावा कर सकती है। यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि उसने अपने विक्रेता के हिस्से से अधिक खरीदा या प्रत्यर्थी संख्या 1 के एक तिहाई हिस्से के आवंटन के बाद भी याचिकाकर्ता का हिस्सा बरकरार रहेगा या प्रत्यर्थी नं 1 को पहले अपीलीय न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में विभाजन में अपने एक तिहाई से अधिक हिस्सा मिला। अधिकतम, याचिकाकर्ता अंतिम डिक्री कार्यवाही में उसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति को प्राप्त कर सकती है ताकि उसके विक्रेता के हिस्से में आवंटित किया जा सके। स्पष्टतया, याचिकाकर्ता ने ऐसा नहीं किया।

10. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील द्वारा उद्धृत निर्णय तत्काल मामले के तथ्यों पर अलग हैं और इसलिए, याचिकाकर्ता के मामले में कोई मदद नहीं करते हैं। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि याचिकाकर्ता को उसके पक्ष में कोई मामला मिला है, यहां तक कि प्रतिवादी सं.1 के खिलाफ उसका मुकदमा भी गलत धारणा प्रतीत होती है और केवल प्रतिवादी नं. 1 के खिलाफ मुकदमा दायर कर डिक्री धारक, उसे संहिता के आदेश 21, नियम 29 के तहत राहत मांगने का हकदार नहीं बनाएगा, इस स्पष्ट कारण से कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई डिक्री पारित नहीं की गई है और खरीदार होने के कारण उसे अपने विक्रेता के स्थान पर कदम रखने का कोई अधिकार नहीं मिला है। इसलिए, मेरी यह सुविचारित राय है कि 2013 के निष्पादन मामले संख्या 03 में विद्वान उप-न्यायाधीश-IV, छपरा द्वारा पारित दिनांक 17.02.2018 के विवादित आदेश में कोई दुर्बलता नहीं है और यह किसी भी अधिकार क्षेत्र की त्रुटि से ग्रस्त नहीं है।

11. तदनुसार, वर्तमान दीवानी विविध याचिका खारिज की जाती है। हालाँकि, यहाँ की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान याचिका के निपटारे के उद्देश्य से हैं और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता के मामले पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

(अरुण कुमार झा, न्यायमूर्ति)

आशीष/-

खंडन (डिस्ट्रिक्चर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।